showing flat rent as income in his income tax return; and

(c) if so, the action taken for misuse of power and to ensure punishment of the guilty and corrupt?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Some complaints have been received in this regard and a preliminary enquiry has been conducted. It is a premature stage to take a decision on action to be taken on punishment.

Carpet Industry in Andhra Pradesh

2471. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Textile Commissioner is monitoring the health of carpet industry in Andhra Pradesh;

(b) whether it is also a fact that no marketing guidance has been offered to the entrepreneurs;

(c) if so, what are the details of steps proposed to give more attention to this industry;

(d) whether any report on the potential of Carpet industry in Elum in West Godavari district in the State has been received; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) No, Sir. The promotion and development of carpet industry comes under the purview of the Development Commissioner (Handicrafts).

(b) and (c) The Carpet Export Promotion Council is providing assistance for marketing to its member exporters including five exporters from Andhra Pradesh by giving opportunities for participation in buyer-seller meets in India and abroad, and through other promotional activities. Morever, exporters of carpets including from Andhra Pradesh avail various export incentives *viz* duty draw back, concessional rate of duty on import of raw wool etc.

(d) and (e) To promote potential of carpet industry in the West Godavari district of Andhra Pradesh, the Government of India is running six Departmental Carpet Training Centres for Advanced Training, Massive Training and Washing and Finishing Training.

परिधान (गारमेन्टस) कोटे संबंधी इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण योजना (ई. टी. एस.)

2472. श्री डी. पी. यादव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिधान निर्यातकों को इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण योजना (ई. टी. एस.) के अंतर्गत परिधानों का कोटा परस्पर परिवर्तित कर लेने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री कासीराम राणा): (क) और (ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने इलैक्ट्रानिक अंतरण योजना (ई. टी. एस.) में छूट देते हुए 8.2.1999 से 8.4.1999 तक की 60 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी प्रतिबंध के पारस्परिक अंतरण करने की अनुमति दी है।

परिधान निर्यातकों की समस्या

2473. श्री डी.पी. यादव:
श्री एस. एम. कृष्णा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिधान निर्यातकों की सहायता करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की निधि संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समग्र निधि कितनी है;

(ख) परिधान निर्यातकों ने किस मूलभूत समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और उनकी समस्याओं के पीछे क्या-क्या प्रमुख कारण है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए परिधानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के कुल निर्यात में कपड़ा उद्योग का प्रतिशत कितना है;

(ङ) परिधान निर्यातकों के लिए उक्त भाग (क) में वर्णित निधि कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) तकनीकी जानकारी की सहायता से दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री कासी राम राणा): (क), (ङ) और (च) सरकार ने परिधान क्षेत्र सहित वस्त्र और पटसन